300

झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची।

पत्र सं0:–वि0प्रा0/यो0–57/11/09/बजट /राँची, दिनांकः– 24.08.2022

प्रेषक,

अभय कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, राँची (JCSTI) के अधीन विभिन्न कार्यकमों हेतु रू0 21,00,00,000/–(रू0 ईक्कीस करोड़) अनुमानित व्यय हेतु सहायक अनुदान की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक 245/बजट दिनांक 30.03.2022 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 07/योजना दिनांक 21.06.2022 के आलोक में राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, राँची के अधीन विभिन्न कार्यकमों के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित व्यय की राशि रू0 21,00,00,000/–(रू0 ईक्कीस करोड़) मात्र झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, राँची (JCSTI) के पक्ष में सहायक अनुदान की आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

02. राशि की निकासी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लधुशीर्ष–004–अनुसंधान/उपशीर्ष–41–झारखंड कौंसिल ऑन साईस एंड टेक्नोलॉजी, राँची, सहायता अनुदान विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान इकाई में उपबंधित राशि रू0 15,54,00,000/–(रू0 पन्द्रह करोड़ चौवन लाख) के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– **43S22030000441010679**)

03. राशि की निकासी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लधुशीर्ष–796–जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–41–झारखंड कौंसिल ऑन साईस एंड टेक्नोलॉजी, राँची, सहायता अनुदान विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान इकाई में उपबंधित राशि रू0 5,46,00,000/–(रू0 पांच करोड़ छियालीस लाख) के अधीन विकलनीय होगा।
(विपत्र कोड– **43S22030079641010679**)

04. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय होगें। राशि निकासी के पश्चात् निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ट्रेजरी चालान के माध्यम से एक मुश्त राशि झारखंड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् के कार्यपालक निदेशक को आवश्यक औपचारिकताएँ पूरा करते हुए उपलब्ध करायेंगे।

05. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।

06. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्रांक 2561 दि0 17.04.98 में निहित दिशानिर्देश एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के आलोक में की जाएगी। इसके साथ ही कार्यपालक निदेशक JCSTI में निरूपित नियमों के आलोक में ही राशि की निकासी एवं व्ययन सुनिश्चित करेगें। JCSTI के अन्तर्गत जिन चालू कार्य योजनाओं के लिए विगत वर्ष राशि विमुक्त की गई है, उक्त योजनाओं का समुचित उपयोगिता प्रतिवेदन से पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद ही संबंधित संस्थाओं को वर्त्तमान स्वीकृत राशि आवश्यकतानुसार विमुक्त योग्य होगी।

299

07. झारखंड सरकार के वित्त विभाग के संकल्प सं0 118 दिनांक 12.01.2007 में वित्तीय प्रबंधन के संबंध में दिये गये निदेश का अनुपालन JCSTI के कार्यपालक निदेशक सुनिश्चित करेगें।

08. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक COBT के अनुरूप एवं JCSTI के निरूपित नियमों को पूर्णतः पालन करते हुए स्वीकृत राशि नियमानुसार व्यय की जायेगी।

09. यह राशि State Scheme Code-0146 से संबंधित है।

10. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र JCSTI के कार्यपालक निदेशक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

11. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग या अपवर्त्तन नहीं किया जाय, इसके लिए JCSTI के कार्यपालक निदेशक जिम्मेवार होगे।

12. झारखण्ड़ कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन निश्चित तौर पर किया जायेगा।

13. स्वीकृत राशि का अंकेक्षण का अधिकार राज्य सरकार एवं महालेखाकार झारखण्ड़ रॉची का होगा।

14. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।

विश्वासभाजन,

24/8/2022

(अभय कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0/यो0–57/11/09/बजट /रॉची, दिनांकः– 24.08.2022

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/2022

(अभय कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0/यो0–57/11/09/बजट /रॉची, दिनांकः– 24.08.2022

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/बजट पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/सहायक निदेशक–II को Upload हेतु/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवीन्द्र प्र0 बर्णवाल) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	(अजय कुमार सिंह) अवर सचिव	24/8/2022 (अभय कुमार सिन्हा) सरकार के संयुक्त सचिव